रक्षा कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों का न्यायालयों में लम्बित पड़ा होना

1423. **श्री अजीत जोगी :**

कुमारी आलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार रक्षा अधिकारियों/सैनिकों के सेवा संबंधी कितने मामले उच्चतम-न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार रक्षा कार्मिकों के सेवा संबंधी मामलों को किसी आन्तरिक प्रणाली के माध्यम से निपटाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ललित विजय सिंह) : (क) 30-11-1990 की स्थिति के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 100 मामले और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1233 मामले लम्बित पड़े हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Doordarshan Kendra at Aizwal

1424. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the PRIME MINISTER. "be' pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Aizwal Doordarshan Kendra does not have a telephone connection;

(b) whether it is also a fact that the city is far away from the Doordarshan Kendra; and

(c) if so, whether a telephone line will be sanctioned for the Kendra soon at least from security point of view?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (c) Two telephones have been provided at T. V. transmitting station, Aizwal, which is situated about 12 KMs away from ths city.

कृषि मजदूरों की मजदूरी में संशोधन

1425. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 15 वर्षों के दौरान ग्रामीण और कृषि मजदूरों की मजदूरी में कितनी बार संशोधन किया गया ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में कृषि मजदूरों के लिए मजदूरी की वर्तमान दरें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : (क) पिछले 15 वर्षों के दौरान ग्रामीण और कृषि श्रमिकों की मजदूरी में किये गये संशोधनों की संख्या के सम्बन्ध में इस मंत्रालय द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन ग्रामीण कृषि श्रमिकों की न्यूनतम दरों के नियतन/संशोधन के लिए राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं।

(ख) विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों के लिए विद्यमान मजदूरी के सम्बन्ध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए नियत की गई न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान दैनिक दरें

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	न्यूनतम मजदूरी
1	2	3
	राज्य सरकारें :	
1.	आन्ध्र प्रदेश	8.50 रु० से 11.00 रु० प्रतिदिन
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00 रु० से 18.00 रु० प्रतिदिन
3.	असम	19.00 रु० प्रतिदिन
4.	बिहार	16.25 रु० प्रतिदिन
5.	गोवा	12.00 रु० प्रतिदिन
6.	गुजरात	11.00 रु० प्रतिदिन
7.	हरियाणा	27.75 रु० भोजन सहित या 31.75 रु० बिना भोजन के
8.	हिमाचल प्रदेश	20.00 रु० प्रतिदिन
9.	जम्मू और कश्मीर	15.00 रु० प्रतिदिन,
10.	कर्नाटक	12.00 रु० से 17.65 प्रतिदिन
11.	केरल	12.00 रु० प्रतिदिन, हल्के काम के लिए 15.00 रु० प्रतिदिन, कठिन काम के लिए
12.	मध्य प्रदेश	17.03 रु० प्रतिदिन या 412.00 रु० प्रतिमाह
13.	महाराष्ट्र	12.00 रु० 20.00 प्रतिदिन (जोन के अनुसार)
14.	मणीपुर	26.70 रु० प्रतिमाह पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 23.70 रु० प्रतिमाह पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा अन्य के लिए
15.	मेघालय	25.00 रु० प्रतिदिन
16.	मिजोरम	28.00 रु० प्रतिदिन
17.	नागालैंड	15.00 रु० प्रतिदिन

1	2	3
18.	उड़ीसा	25.00 रु० प्रतिदिन
19.	पंजाब	35.55 प्रतिदिन, भोजन बिना या 31.55 प्रतिदिन, भोजन सहित
20.	राजस्थान	22.00 रु० प्रतिदिन
21.	सिक्किम	14.00 रु० प्रतिदिन
22.	तमिलनाडु	14.00 रु० प्रतिदिन
23.	त्रिपुरा	16.00 रु० प्रतिदिन
24.	उत्तर प्रदेश	18.00 रु० प्रतिदिन
25.	वेस्ट बंगाल	22.88 रु० प्रतिदिन, बिना भोजन के 19.68 रु० प्रतिदिन या दो प्रमुख भोजन सहित
	संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन :	
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.00 रु० प्रतिदिन (अंडमान) 21.00 रु० प्रतिदिन (निकोबार)
2.	चंडीगढ़	29.30 रु० प्रतिदिन, भोजन सहित या 33.30 रु० प्रतिदिन, बिना भोजन के
3.	दादरा और नगर हवेली	14.00 रु० प्रतिदिन
4.	दिल्ली	30.50 रु० प्रतिदिन
5.	लक्षद्वीप	18.00 रु० प्रतिदिन
6.	पांडिचेरी	
	(i) पांडिचेरी क्षेत्र	14.00 रु० प्रतिदिन
	(ii) मेह क्षेत्र	12.00 रु० प्रतिदिन, हल्के काम के लिए 15.00 रु० प्रतिदिन, कठिन काम के लिए
	(iii) यनम क्षेत्र	11.00 रु० प्रतिदिन
	(iv) कराईकल क्षेत्र	8.00 रु० प्रतिदिन

Communal riots in Delhi

1426. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

SHRI SURESH PACHOURI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any inquiry has been conducted into the communal riots that took place in Delhi in November, 1990;

(b) if so, what is the result of such inquiry; and

(c) what action has been taken by Government against those found involved in arousing the communal passions and also to ensure communal harmony in the Capital?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND